

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.दावा / 17 / 2017

दर्ज दिनांक:-06.03.2017

1. अरबसिंह

पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. पदमसिंह

पता—

.....अप्रार्थीगण

जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 02.11.2018

वकील उभयपक्ष उपस्थित/प्रतिवादी सं० 1 व 04 से 08 की तलवी हेतु कई अवसर दिये गए किन्तु पालना नहीं की गई। तलवी के अभाव में दिनांक 27.08.2018 को दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण ओ-9-नियम 5 सी.पी.सी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हों।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर